

नर्मदापुरम जिले में अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या

क्र०	जिले का नाम	अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था की संख्या	अल्पसंख्यक गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था की संख्या
1	नर्मदापुरम	00	11

अनुसंधान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

अंजनी कुमार त्रिपाठी
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

मांक एफ 44-21/2011/20-2

भोपाल दिनांक 26/7/12

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्य प्रदेश

विषय:- शिक्षा का अधिकार अधिनियम : सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही।

---0---

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं। इन याचिकाओं पर दिनांक 12 अप्रैल 2012 का मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया।
2/ याचिका क्रमांक W.P. (C) No. 95/2010 में पारित निर्णय का अंग्रेजी मूल अंश निम्नानुसार है :-

" Conclusion (according to majority) :

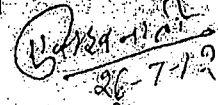
20. Accordingly, we hold that the Right of children to Free and compulsory Education Act, 2009 is constitutionally valid and shall apply to the following :

- (i) a school established, owned or controlled by the appropriate Government or a local authority;
 - (ii) an aided school including aided minority school (s) receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authority;
 - (iii) a school belonging to specified category; and
 - (iv) an unaided non-minority school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority.
- However, the said 2009 Act and in particular Sections 12(1)(c) and 18(3) infringes the fundamental freedom guaranteed to unaided minority schools under Article 30(1) and, consequently, applying the R.M.D. Chamarbaugwalla v. Union of India [1957 SCR 930] principle of severability, the said 2009 Act shall not apply to such schools.

21. This judgment will operate from today. In other words, this will apply from the academic year 2012-13. However, admissions given by unaided minority schools prior to the pronouncement of this judgment shall not be reopened."

अनुपाय अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में यह निर्देशित किया जाता है कि, जो शैक्षणिक संस्थाएं भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम से मुक्त रखा जाए।


26-7-12

(शोभा इवनाती)

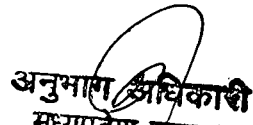
उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ0क्रमांक एक 44-21/2011/20-2

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण / राज्य शिक्षा केन्द्र / आदिवासी विकास भोपाल, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
4. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय म.प्र.।
7. समस्त जिला परियोजना समन्वयक म.प्र.।
8. गार्ड फाईल।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग